निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोध
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :– 66/2017 दावा
दायरा दिनांक :– 47.04.2017
निर्णय दिनांक :– 29.06.2017

उनवान

1. रामकल्याण पुत्र कवरलाल लोधा
2. छोटूलाल पुत्र कवरलाल लोधा
3. टमरलाल पुत्र हरलाल
4. मगीलाल पुत्र रामचन्द्र
5. बृजमोहन पुत्र घासीलाल
6. रामकिशन पुत्र घासीलाल
7. हेमराज पुत्र घासीलाल
8. भवानीशकर पुत्र घासीलाल
9. मागीबाई पुत्री घासीलाल
10. जसोदा पुत्री घासीलाल जाति लुहार
11. कवरलाल पुत्र गगाराम
12. दाखाबाई पुत्री मोतीलाल
13. बंशीलाल पुत्र चतुर्भुज
14. गणेशराम पुत्र बाबूलाल
15. सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल
16. मुकेश पुत्र बाबूलाल
17. लाडबाई पुत्री बाबूलाल
18. सन्ती पुत्री बाबूलाल
19. कमलाबाई बेवा बाबूलाल जाति लुहार निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 29.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 101 रकबा 45.08 बीघा, ख0 117/99 रकबा 07 बीघा मौजा टकूडा में स्थित हैं जो वादीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे व में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजियात की सीमा व मेड के संबन्ध में वादीगण एवं पडौसी काश्तकार हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने व

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

निरन्तर---- पृष्ठ 2पर

मांगीलाल
छोटूलाल

Scanned by CamScanner

लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 10.06.2012 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 10.06.2012 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम टकूडा संवत 2068—71 खाता संख्या 42, नकल नक्शा टेस पेश किया गया। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प भावपुरा पर उपस्थित हुए। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम टाकूडा संवत 2068—71 के आराजी ख0नं0 101 रकवा 45.08 बीघा, ख0 नं0 117/99 रकवा 07 बीघा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादीगण अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादि आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के भावपुरा पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम टाकूडा के ख0नं0 101 रकवा 45.08 बी ख0 नं0 117/99 रकवा 07 बीघा, का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाब दिये जाते है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

हीरालाल वर्मा
उपखण्ड अधिका
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

डिक्री

...ा 66/2017	धारा अन्तर्गत 89, RTA	निर्णय दिनांक 29.06.2017
श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी – श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी–	

वाद शीर्षक
उनवान

1. रामकल्याण पुत्र कंवरलाल लोधा
2. छोटूलाल पुत्र कंवरलाल लोधा
3. टमरलाल पुत्र हरलाल
4. मगीलाल पुत्र रामचन्द्र
5. बृजमोहन पुत्र घासीलाल
6. रामकिशन पुत्र घासीलाल
7. हेमराज पुत्र घासीलाल
8. भवानीशंकर पुत्र घासीलाल
9. मांगीबाई पुत्री घासीलाल
10. जसोदा पुत्री घासीलाल जाति लुहार
11. कंवरलाल पुत्र गंगाराम
12. दाखाबाई पुत्री मोतीलाल
13. बंशीलाल पुत्र चतुर्भुज
14. गणेशराम पुत्र बाबूलाल
15. सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल
16. मुकेश पुत्र बाबूलाल
17. लाडबाई पुत्री बाबूलाल
18. सन्ती पुत्री बाबूलाल
19. कमलाबाई बेवा बाबूलाल जाति लुहार निवासी गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प भावपुरा पर स्वीक किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम टाकूडा के ख0नं0 101 रकवा 45.08 बीघा, ख0 नं0 117/99 रक 07 बीघा, का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार ______________ रू0 का व्ययानुतोष __________ द्वार ______ को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.06.2017 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र / लिखित कथन		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
10	योग		

Scanned by CamScanner